भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.547
12 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

शहरी क्षेत्रों में वर्टिकल विकास

547. श्री आर. गिरिराजनः
श्री एस. कल्याणसुन्दरमः
श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्लाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार शहरों के बढ़ते फैलाव को नियंत्रित करने के लिए हॉरीजॉन्टल विकास के बजाय वर्टिकल विकास को बढ़ाया देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क, ख, और ग): शहरी नियोजन राज्य का विषय है। **74**वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, **1992** द्वारा सम्मिलित **12**वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है, जो राज्य सरकार द्वारा कार्यों के हस्तांतरण के अधीन है।

ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) मास ट्रांजिट कॉरिडोर के साथ शहर के घनत्व को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण शहरी नियोजन उपकरण है। यह ट्रांजिट कॉरिडोर के साथ फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) को काफी हद तक बढ़ाकर वर्टिकल विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से किया जाता है। टीओडी जोन में आबादी को सहायता देने के लिए, मिश्रित उपयोग विकास, पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए गैर-मोटर चालित परिवहन अवसंरचना, ट्रांजिट कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में सड़क नेटवर्क, मल्टी-मोडल एकीकरण और, फीडर सेवाओं के माध्यम से पहली और अंतिम छोर की संयोजकता की योजना बनाई गई है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी–**2017** जारी की है। यह नीति टीओडी पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के ज्ञानवर्धन में सहायता प्रदान करती है।

भारत सरकार ने 'स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर **2022-23**' जारी की है। इस योजना में शहरी सुधारों को लागू करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। टीओडी नीति जारी करना और उसका कार्यान्वयन किए गए सुधारों में से एक है।

***